कार्यालय नगर परिषद उदयपुर (राज)

बैठक संख्याः– 2

दिनांकः– 8.6.2010
वार :– मंगलवार
समयः– प्रातः 11.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 8.6.2010 प्रातः 11.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्षा श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	सदस्य
2. श्रीमती अर्चना शर्मा	सदस्य
3. श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य
4. श्री मुस्लिम अली बंदुक वाला	सदस्य
5. श्री मुहम्मद खलील	सदस्य
6. श्री बी.एम. असावा	आयुक्त एवं सदस्य सचिव

सर्वप्रथम समिति अध्यक्षा श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 14.5.2010 बैठक संख्या 1 में लिये गये निर्णय की पुष्टि सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मिति से की जाने के पश्चात बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आंरभ की गई।
अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामांतरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक/सहायक अभियंता उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. भ.अ/284/2008–09 श्री कमरूद्दीन चिश्ती, 23,ए , ए किशनपोल उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनाक 8.6.2010 को रखी गयी मौका देखा गया तलघर , भूतल व प्रथम तल (भाग) बना हुआ है एवं सेट बेक में भी आंशिक विचलन किया गया है। दिनांक 24.7.2009 को भवन निर्माण समिति द्वारा किये गये निर्माण का नियमन करने की सिफारिश की एवं द्वितिय तल सेट बेक छोडकर आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतू अभिशंसा की गई। इस बाबत प्रशासनिक समिति से अनुमोदन करवाये जाने हेतू निर्णय लिया गया। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 24.7.09 को लिये गये निर्णय का अनुमोदन करते हुए तद्रअनुसार नियमन किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

2. भ.अ/ 5/2009–10 श्री जगदीश चन्द्र पिता स्व. अम्बा लाल जी 23/460 राव जी का हाटा गणेश कोलोनी ,उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व समिति द्वारा मौका देखा गया प्रार्थी ने स्वीकृति पूर्व ही नक्शे मे दर्शाये लाल रंग से प्रस्तावित भाग को बना लिया है। जिसका दिनांक 25.6.2009 को भवन निर्माण अनुमति समिति के द्वारा नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया । प्रकरण नियमन का होने से प्रशासनिक समिति में अनुमोदन करवाने हेतू निर्णय लिया गया था।अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 25.6.2009 को भवन अनुमति समिति की बैठक में लिये गये निर्णाय का अनुमोदन करते हुए तद्रअनुसार नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. भ.अ / 297 / 2008–09 श्री रतन लाल पानेरी पिता स्व. तेजराम जी पानेरी 216, राव जी का हाटा उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व समिति द्वारा मौका देखा गया प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही निर्माण कार्या शुरू कर दिया गया। अतः दिनांक 25.9.2009 को भवन निर्माण समिति द्वारा किये गये स्वीकृति पूर्व निर्माण को नियमन करने की अनुशंसा की गयी। नियमन का प्रकरण होने से प्रशासनिक समिति मे अनुमोदन करवाने हेतू निर्णय लिया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गयाकि भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 25.9.2009 को लिये गये निर्णय का अनुमोदन करते हुए तद्रअनुसार नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. भ.अ / 38 / 2008–09 श्री जंसवत सिंह पिता सूचा सिंह , 660 हिरण मगरी सेक्टर 11 उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व समिति द्वारा मौका देखा गया व पीछे के सेट बेक मे निर्माण कर रखा है। तथा उक्त क्षैत्र बंटवारे में प्रार्थी के पास है। पूर्व में भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 10.9.2009 को नियमन , उपविभाजन एवं निर्माण स्वीकृति बाबत निर्णय लिया गया जिसका अनुमोदन प्रशासनिक समिति में करवाये जाने हेतू लिखा गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि भवन अनुमति समिति द्वारा दिनांक 10.9.2009 को लिये गये निर्णय का अनुमोदन करते हुए तद्रअनुसार नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है। एवं प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे कि सेट बेक क्षैत्र में एवं उपर की मंजिलों के सेट बेक मे भी भविष्य में निर्माण नही करने हेतू शपथ पत्र लिया जावे।

5. भ.अ / 180 / 2008–09, शांति डवलपर्स जरिये श्रीमति विभा, उर्मिला सरूपरिया 4, चम्पा बाग चार बंगला उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी। व भवन अनुमति समिति बैठक दिनांक 25.9.2008 को निर्णय लिया गया कि स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं अतिरिक्त मंजिल फार्थ फ्लोर भी बनाया जिसे नियमन का मामला होने से प्रशासनिक समिति से अनुमोदन हेतू लिखा गया था। समिति द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया प्रार्थी द्वारा उक्त निर्माण के अतिरिक्त आशिक मंजिल का निर्माण भी किया गया है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 25.9.2008 में लिये गये निर्णय के अतिरिक्त अतिरिक्त निर्माण / मंजिल के निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए किये गये स्वीकृति विरूद्ध निर्माण एवं अतिरिक्त मंजिलो के नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है। पार्किंग की कमी की राशि नियमानुसार ली जावे।

6. भ.अ / 7 / 2009–10, शर्मा मार्मो एसोसिएट प्रा लि उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी प्रार्थी का प्रकरण भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 24.7.2009 में प्रकरण रखा गया एवं समिति द्वारा सेट बेक में निकासु एवं अतिरिक्त फिफत फ्लोर को नियमन करते हुए प्रशासनिक समिति मे अनुमोदन हेतू लिखा गया था एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जाये।

7. भ.अ / 318 / 07–08 श्री रूप लाल एवं हेमेन्द्र गंगावत 600, डी हिरण मगरी सेक्टर 11, उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया मौके पर प्रार्थी ने बेस मेंट पार्किंग के स्थान पर शटर लगा दुकाने बना ली गई है। एवं भवन की बाउन्ड्री भी काफी उंची बनाई गई है। पूर्व में प्रार्थी का प्रकरण भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 25.9.2008 मे प्रकरण रखा गया एवं समिति द्वारा निर्णय लिया कि प्रार्थी ने सेट बेक मे निर्माण किया एवं बिना स्वीकृति के बेस मेंट का निर्माण किया जिसको नियमन बाबत प्रशासनिक समिति में अनुमोदन करवाया जावे अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्रार्थी ने बेस मेंट में शटर लगा दुकाने बनाई गयी एवं दुकानों के सामने बाउन्ड्री बनाई गई सो

शटर एवं बाउन्ड्री हटाकर उसके फोटो के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी बैठक में रखा जावे। प्रार्थी द्वारा दो माह में शटर व बाउन्ड्री नहीं हटाने पर अतिक्रमण शाखा द्वारा कार्यवाही की जावे।

8. भ.अ/143/08–09 श्री सुरेश जैन पिता साहिब लाल जैन 49, धोली बावडी देहली गेट अंदर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी प्रार्थी का प्रकरण भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 25.9.2008 को रखा गया एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रार्थी ने जो सरकारी भूमि पर निर्माण कर रखा है। उसकी शास्ती वाणिज्यिक बाजार दर से ली जावे एवं स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण किया उसकी शास्ती भी ली जावें। एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन किया जावें। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि सरकारी भूमि पर जो निर्माण कर रखा है उसे हटाकर उसके फोटो प्रस्तुत करें। एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उसके बाद पुनः कमेटी मे प्रकरण रखा जावे।

9.. भ.अ/202/2008–09 श्री मुहम्मद अकरम पिता कालु भाई 223, चुडीगारों का मोहल्लाा मुसाफिर खाने की गली उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया प्रार्थी द्वारा भवन का स्ट्रेक्चर स्वीकृति पूर्व ही बना लिया है। भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 25.6.2009 को किये गये निर्माण की नियमन किये जाने की अनुशंसा की गई प्रकरण नियमन का होने से प्रशासनिक समिति में अनुमोदन करवाने हेतू निर्णय लिया गया था।अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि भवन अनुमति समिति द्वारा दिनांक 25.6.2009 को लिये गये निर्णय का अनुमोदन करते हुए तद्रअनुसार नियमन करने की स्वीकृति दी
जाती है।

10. भ.अ/29/2009–10 श्री चन्द्रनारायण वशिष्ठ पिता स्व कणीन्द्र नारायण 147, जगदीश चौक उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा मौके पर स्वीकृति पूर्व ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया दिनांक 25.6.2009 को भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा किये गये निर्माण को नियमन कराने की अनुशंसा की गई। प्रकरण नियमन का होने से प्रशासनिक समिति में अनुमोदन करवाने हेतू निर्णय लिया गया था। प्रार्थी ने मौके पर भू तल में दुकाने बनाई गई व भवन अनुमति समिति द्वारा आवासीय नियमन का निर्णय लिया गया था अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि भू तल में जो दुकाने बनाई गई है। उन्हें हटाकर फोटो प्रस्तुत करें। यदि दो माह में प्रार्थी दुकाने हटाकर फोटो प्रस्तुत नहीं करता है तो परिषद द्वारा दुकाने हटाई जावेगी।

11. भ.अ/61/2009–10 श्री राजेन्द्र मोहन लाल दाखी बाई 1, 1 ई , 1 ए अशोकनगर उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया व दिनांक 24.7.2009 को भवन अनुमति समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया व प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया। उसे नियमन करते हुए प्रशासनिक समिति में अनुमोदन कराने हेतू लिखा गया अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावें।

12. भ.अ/178/08–09 श्रीमती मंजू त्रिपाठी पति भक्त वल्लभ त्रिपाठी 210, बी हिरण मगरी सेक्टर 11 अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया व दिनांक 24.7.2009 भवन अनुमति समिति की बैठक मे प्रकरण रखा गया था व प्रार्थी से वर्तमान मौका स्थिति के नक्शे लेते हुए बिना स्वीकृति के सेट बेक मे निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए बिल्डिंग लाईन के अंदर

जो निर्माण किया उसकी भी शास्ती लेते हुए प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतू लिखा गया था। प्रार्थी ने 30'–0'' रडियस में छुटने वाली सरकारी भूमि को भवन में शामिल कर दिया एवं भू तल में दुकानों का भी निर्माण किया गया। व बेस मेंट प्रथम तल द्वितिय तल आदि का भी निर्माण किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण को निरस्त किया जाता है एवं किये गये सरकारी भूमि व अवैध निर्माण को तोडने की कार्यवाही हेतू अतिक्रमण शाखा में पत्रावली पहुंचाई जावे।

13 भ.अ/274/2006–07 मेसर्स दिवान टाप टाइम प्रोपर्टी प्रा. लि उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व दिनांक 24.7.2009 को भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार सेट बेक में किये गये निर्माण को नियमन करते हुए एवं पार्किंग की राशि वसूल करने हेतू प्रशाासनिक समिति में अनुमोदन कराने की अनुशंसा की गई। उक्त प्रकरण में वाद न्यायालय में विचाराधिन होने से सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय में विचाराधिन समस्त न्यायिक प्रकरणों की वर्तमान स्थिति विधिक राय आने के पश्चात संयुक्त स्थल निरिक्षण करा आगामी बैठक में रखी जावे।

14. भ.अ/185/2006–07 मेसर्स बुला कन्स्ट्रक्शन पार्टनर नरेश बुला 4, शिक्षा भवन गुलाब भवन, उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 14.9.2008 को भवन अनुमति समिति की बैठक में प्रार्थी का प्रकरण रखा गया था। जिसमें स्वीकृति के विरूद्ध/तृतीय मंजिल के निर्माण को नियमन करते हुए प्रशासनिक से अनुमोदन हेतू निर्णय लिया गया है। मौके पर प्रार्थी ने नियमन के अलावा 4 फ्लोर में एक फ्लेट का निर्माण किया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी से वर्तमान स्थिति के नक्शे एवं प्रार्थी क्या नियमन चाहता है इस बाबत प्रार्थना पत्र प्राप्त कर आगामी बैठक में रखा जावे।

15. भ.अ/103/08–09 मेवाड मोटर्स प्रो. अरूण सुखाडिया पिता मोहन लाल सुखाडिया प्लाट नं. 17,18 का भाग तोरण बावडी उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6. 2010 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 14.9.2008 को भवन अनुमति समिति में प्रकरण रखा गया था व निर्णय लिया गया था कि प्रार्थी से पूर्व भवन निर्माण स्वीकृति का नक्शा मांगा जाकर नये निर्माण होना पाया उसकी शास्ती 7.5 प्रतिशत एवं निकासु आदि की राशि लेते हुए पूर्व में दी गई स्वीकृति अनुसार ही भू तल + दो मंजिल भवन निर्माण की स्वीकृति का निर्णय लिया गया था। निर्णय लेते हुए प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतू लिखा गया। समिति द्वारा मौका देखा गया मौके पर पर्याप्त पार्किंग स्थल नहीं होना पाया गया है। अतः सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया है कि पार्किंग व्यवस्था के बाबत प्रार्थी से जानकारी मांगी जाये। इस बाबत प्रार्थी को सूचित किया जावे। प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

16. भ.अ/222/08–09 श्रीमती मिनाश्री अग्रवाल एवं तुलसी राम एवं श्री हरिश 2, डी हजारेश्वर कोलोनी उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8 6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया प्रकरण दिनांक 25.9.2008 भवन अनुमति समिति में रखा गया था एवं स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण एवं अतिरिक्त मंजिल के निर्माण को नियमन करने हेतू प्रशासनिक समिति से अनुमोदन कराने हेतू लिखा है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त भवन पुर्णतः व्यवसायिक भवन है जिसमें पार्किंग की भी कमी है ।जबकि पार्किंग उपलब्धताा मात्र टू विलर के लिये ही है। अतः पार्किंग उपलब्धता शुन्य है प्रार्थी ने सेट बेक में भी निर्माण किया गया है। समस्त तथ्यों के मद्रदेनजर प्रकरण नियमन योग्य नही है अतः प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

17. भ.अ / 150 / 08–09 मसर्स के पी कन्ट्रक्शन प्लाट नं. 1 हिरण मगरी सेक्टर नं. 13 उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 25.9. 2008 भवन समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि पूर्व स्वीकृति बेस मेंट पार्किंग भू तल + दो मंजिल निर्धारित सेट बेक छोडते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थीं जिसके विरूद्व किये गये निर्माण की शास्ती राशि भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए एवं सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरिक्षत दर से वसूल करते हुए प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतू लिखा गया था अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भू तल में एवं बेस मेंट में दुकानों का निर्माण कर रखा है। जो कि भू उपयोग परिवर्तन की परिभाषा में आने से प्रार्थी को उक्त क्षैत्र का भू उपयोग परिवर्तन कराने हेतू सूचित किया जावे व प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

18. भ.अ / 253 / 08–09 श्रीमती लीलावती शर्मा पति हुक्मी चन्द शर्मा प्लाट नं. 1180 हिरण मगरी सेक्टर 11, उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8 6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 10.9.2009 भवन अनुमति समिति में निर्णय लिया गया कि पूर्व स्वीकृति के विरूद्व सामने के सेट बेक में एवं साईड के सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे जिसकी राशि 67,950 रूपये सतेसठ हजार नौसो पचास रूपये जेईन द्वारा शास्ती राशि की गणना की गई समिति द्वारा आस पास की स्थिति को देखते हुए भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन किया जाता है। प्राथी से उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधिन नहीं हाने का शपथ पत्र लिया जावे ।

19. भ.अ / 96 / 09–10 हंगाम इन्टर प्राइजेज डायरेक्टर श्री बन्ना राम चौधरी 29, ए न्यू फतेहपुरा उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 10.9.2009 को भवन अनुमति समिति की बैठक में रखा गया था एवं निर्णय लिया गया कि स्वीकृति विरूद्व किये गये निर्माण को नियमन करने हेतू प्रशासनिक समिति में अनुमोदन कराने हेतू लिखा गया था अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी न सामने के सेट बेके में सडक सतह से लगभग 5 फीट उंचा चबूतरा बनाया गया है जिस कारण पार्किंग का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है । चबूतरा व सीढी को हटाकर मय फोटो के प्रस्तुत करे। तत्पश्चात प्रकरण पुनः समिति के समक्ष रखा जावे।

20. भ.अ / 67 / 09–10 श्री मति शांता, सुरेन्द्र, राजेन्द्र, एवं भूपेन्द्र बागरेचा 100, रोड नं. 6, अशोक नगर उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8 6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया व दिनांक 10.9.2009 को भवन अनुमति समिति द्वारा निर्णय लिया कि प्रार्थी ने सेट बेक में जो निर्म्रण किया उसकी शास्ती लेते हुए प्रथम व द्वितिय तल स्वीकृति हेतू लिखा गया व नियमन हेतू प्रशासनिक समिति अनुमोदन हेतू लिखा प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के प्रथम व द्वितिय तल भी बना लिया व सेट बेक में भी निर्माण किया गया व सामने के सेट बेक में सीढी बनाई है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सामने के सेट बेक मे सीढी बनाई गई उसे सर्वप्रथम हटाकर उसके फोटो प्रस्तुत करें यदि प्रार्थी द्वारा दो माह में सीढी नहीं हटाई जाती तो परिषद द्वारा हटाई जावेगी। उक्त पालना के पश्चात प्रकरण पुनः बैठक में रखा जावे।

21. भ.अ / 56 / 09–10 श्री भंवर लाल एवं रंग लाल जैन पिता स्व फतेह लाल जी जैन 5, कांजी का हाटा गली नं. 1 उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8 6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 10.9.2009 को भवन अनुमति समिति की बैठक रखी गयी जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो गैराज के शटर लगा रखे है उसे हटाकर दिवार की चुनाई कर फोटो प्रस्तुत करें उसके बाद प्रार्थी ने जो प्रथम तल में बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत की दर से लेते हुए प्रशासनिक समिति में अनुमोदन कराने हेतु लिखा गया। समिति द्वारा मौका देखा गया मौके पर प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण अनुमति समिति के दिये निर्देशों की पालना नहीं की गई अतः सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया की प्रार्थी पूर्व

में लिये गये निर्णय दिनांक 10.9.2009 का भवन निर्माण अनुमति समिति के निर्देशों की पालना कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

22. भ.अ/152/06–07 चन्दा देवी एवं शांति लाल एवं अन्य 1–2, सुरानों की सेहरी उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 10.9.2009 को भवन अनुमति समिति की बैठक में रखा गया व नियमन राशि वसूल करते हुए मामला नियमन का होने से प्रशासनिक समिति में अनुमोदन करवाया जावें । व पार्थी से न्यायालय में वाद नहीं होने का शपथ पत्र भी लिया जाने हेतू लिखा गया था प्रार्थी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधिन है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय में वाद विचाराधिन होने से विधि अधिवक्ता से विस्तृत राय ली जावे। उक्त पालना के पश्चात प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

23. भ.अ/59/09–10 डॉ मनोहर पालीवाल पिता स्व शंकर लाल जी पालीवाल, उतरी सुंदरवास उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2009 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 10.9.2009 को भवन अनुमति समिति में प्रकरण रखा गया था एवं निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक मे निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावें एवं बिल्डिंग लाईन के अंदर लागत का 5 प्रतिशत से राशि ली जाकर प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतू रखा जावे अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि भवन अनुमति समिति की बैठक में दिनांक 10.9.2009 को लिये गये निर्णय का अनुमोदन करते हुए तद्रअनुसार नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है।

24. भ.अ/65/03–04 श्री मती धन लक्ष्मी पति उदय सिंह चौहान 15, पाला गणेश जी दुध तलाई उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया रखी गयी दिनांक 10.9.2009 को प्रशासनिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं बिल्डिंग लाईन पर जो प्रथम तल पर निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत की दर से ली जावे। व नियमन करने से पूर्व न्यायालय का निर्णय लंबित होनेसे विधि अधिवक्ता से राय ली जावे। उक्त क्षैत्र में झील संरक्षण की रोक लगी हुई है। एवं विधी अधिवकता द्वारा दिनांक 21.11.09 को बतलाया गया कि ''प्रकरण न्यायालय में विचाराधिन है ऐसी स्थिति में न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया जाना है''। ऐसी स्थिति में सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया है कि विधी अधिवक्ता से वर्तमान स्थिति की रिपार्ट ली जाकर कार्यवाही की जावे।

25. भ.अ/95/07–08 श्री नाना लाल तेली एवं अन्य प्लाट नं. 2,3 सुभाष नगर पाठों की मगरी उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8 .6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 10.9.2009 को भवन अनुमति समिति में प्रकरण रखा गया एवं निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा किसी तरह की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। जिससे पुरा भवन ही बिना स्वीकृति के निर्मित है। समिति द्वारा निर्णय लिया कि पुरे भवन का नियमन होगा या मात्र सेट बेक का नियमन होगा इस बाबत प्रशासनिक समिति में प्रकरण निर्णय हेतू रखा जावे। मौके पर प्रार्थी ने बेस मेंट भू तल + चार मंजिल मय सेट बेक में निमासु के व्यवसायिक कॉम्पलेक्स बना लिया गया है।अतः समिति द्वारा सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से वर्तमान स्थिति के नक्शें मांगे जावे जिसमें पार्किंग की स्थिति एफ एस आई आदि दर्शाया जावे।

26. भ.अ/233/2008–09 श्री कमल कांत जैन पिता हीरा लाल जी 691, हिरण मगरी सेक्टर 11 उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8 6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया व भूतल बना हुआ है। जिसमें सामने व साईड सेट बेक में निकासु रचना बना रखी है। जिसके नियमन किये जाने

का निर्णय भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा दिनांक 10.9.2009 को लिया गया है। जिस पर जे ईन द्वारा शास्ती राशि 1,24088 रूपय .40 पैसे की गणना की गई। नियमन प्रकरण होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया है कि मामला सेट बेक मे किये गये निकासु रचना का नियमन का प्रकरण है अतः भवन निर्माण समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन इस समिति द्वारा किया जाता है।

27. भ.अ / 227 / 09–10 श्री राधाकिशन (किशोर कुमार) पिता शोभराज दुकान संख्या 21 बापू बाजार उदयपुर माकै पर पुराने बने भवन को गिराकर स्वीकृति पूर्व ही भू तल + प्रथम तल निर्माण कर लिया है। प्रार्थी यहां भू तल + दो मंजिल भवन का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। टाईप डिजाईन भू तल + प्रथम तल बिना निकासु रचना के है चूंकि स्वीकृति पूर्व ही निर्माण कर लिया प्रंकरण नियमन का होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया मौके पर पुराने भवन को गिराकर भूतल + एक मंजिल भवन मय निकासु रचना के बिना स्वीकृति के बना लिया है आस पास की स्थिति को देखते हुए व किसी की उजरदारी प्राप्त न होने एवं यहां की टाईप डिजाईन भूतल+ एक मंजिल की होने से सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया है कि बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती राशि लागत की 7.5 प्रतिशत से वसूल की जावे तथा निकासु रचना की शास्ती राशि आरक्षित दर की दुगनी दर से वसूल की जावे बाद वसूली नियमन किया जावे प्रार्थी से उक्त भूखण्ड के संबंध में न्यायालय में कोई वाद विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

28. भ.अ / 192 / 2009–2010 श्री छगन लाल पिता शंकर लाल मोची मकान संख्या 2 लक्ष्मी मार्ग अंमल का कांटा उदयपुर मौके पर स्वीकृति पूर्व ही निर्माण कर लिया है। मामला नियमन का होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया मौके पर प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही पुराने भवन को गिराकर नया निर्माण कार्य कर लिया यहां की कोई उजरदारी भी प्राप्त नहीं हुई आस पास की स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया है कि मौके पर किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत की दर से वसूल की जावे व उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधिन न हो तथा भविष्य में बिना स्वीकृति निर्माण न करे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

29 .भ.अ / 160 / 09–10 श्रीमती सीता देवी शर्मा पति रामचन्द्र जी शर्मा मकान संख्या 53, पिछोली उदयपुर मौके पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शें मे पुराने भवन को गिराकर उसी स्थान पर पुनः भू तल + दो मंजिल मय निकासु रचना के आवासीय भवन का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया। जबकि मौके पर भू तल + दो मंजिल नया भवन मय निकासु रचना के बना हुआ है। अतः प्रंकरण नियमन का होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा मौका देखा गया मौके पर भूतल + दो मंजिल नये निर्माण होना पाया गया तथा निकासु रचना भी बना रखी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शें में पुराने भवन को गिराकर उसी स्थान पर भू तल + दो मंजिल निर्माण दर्शाया गया है। जबकि स्वीकृति पूर्व ही मय निकासु रचना के निर्माण कर लिया गया है। किसी की उजरदारी भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया है कि किये गये निर्माण कार्य की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत की दर से वसूल की जावे व निकासु रचना शुल्क भी वसूल किया जावे बाद वसूली नियमन किया जावे एवं प्रार्थी से उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधिन इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे साथ ही भविष्य में बिना स्वीकृति कोई निर्माण कार्य न किया जावे।

30. भ.अ / 32 / 09–10 श्री दिनेश कुमार पिता भंवर लाल जी हिंगड 7, ए मोगरावाडी उदयपुर मौके पर पूर्व में दी गयी स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में विचलन किया गया है। जिसमें सामने 13′–0″ के बजाय 10″–0′ साईड मे 5 फीट के बजाय 4 फीट एवं पीछे 5 फीट के बजाय 3′–6″ बना रखा है। जो कि सेट बेक में विचलन किय गया है। मामला नियमन का होने से एवं बने भवन पर प्रथम एवं द्वितिय तल निर्माण करना प्रस्तावित है। अतः प्रंकरण नियमन का होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा मौका देखा गया आस पास की स्थिति को देखते हुए व किसी की उजर दारी भी प्राप्त नहीं हुई है अतः सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जावे व बाद वसूली भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जावे उक्त भूखण्ड के संबंध में न्यायालय में कोई वाद विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र

लिया जाये व भविष्य में बिना स्वीकृति काई निर्माण न किया जावे तथा सेट बेक में किसी निर्माण को नियमन नहीं किया जावेगा।

31. भ.अ / 117 / 09–10 श्री महिपाल जैन पिता स्व श्री जसराज जी जैन 93, सर्वऋतु विलास उदयपुर मौके पर भू तल + प्रथम तल (भाग) बना हुआ है जिसमे पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक मे 12 फीट के बजाय 11'–6" साईड सेट बेक 10'–0" 9'–9" व गैराज की तरह कमरा बना रखा है। तथा पीछे 5 फीट के बजाय 4'–6" छोड रखा है जिसमें स्टोर व बाक्स भी बना रखें है। प्रथम तल में गैराज भाग के उपर कमरा व उसके आगे के भाग को भी शामिल मिला रखा है। प्रथम तल में बिना स्वीकृति दो कमरें स्टोर,टायलेट नाल आदि बना रखें है। समिति द्वारा मौका देखा गया व आस पास की स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में दी गई स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जावे एवं प्रथम तल में भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत दर से वसूल की जावे बाद वसूली भवन निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जावे। प्रार्थी से उक्त भूखण्ड के संबंध में न्यायालय में कोई वाद विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जायें साथ ही भविष्य में बिना स्वीकृति निर्माण न करें एवं सेट बेक में किसी भी निर्माण को नियमन नहीं किया जावेगा।

32. भ.अ / 79 / 2008–2009 श्री शांति लाल मेहता पिता रघुनाथ सिंह मेहता एवं अन्य 61, पंचवटी उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध फ्रन्ट एवं साईड सेट बेक में निर्माण किया गया व अतिरिक्त मंजिल फोर्थ फ्लोर का निर्माण किया गया है। व प्रार्थी पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक के निर्माण एवं अतिरिक्त मंजिल के निर्माण को नियमन कराने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। व समिति द्वारा मौका देखा जाकर सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया की प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति दिनांक 5.8.2008 के विरू;द्ध जो सेट बेक में निर्माण किया एवं अतिरिक्त मंजिल फोर्थ फ्लोर का निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं आंतरिक परिवर्तन एवं पार्किंग की कमी की राशि भी वसूल की जाकर किये गये निर्माण को नियमन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पार्किंग बाबत शपथ पत्र एवं वाणिज्यिक नहीं करने का शपथ पत्र लिया जावे।

33. भ.अ / 146 / 09–10 श्री हरि सिंह पंवार पिता स्व गोकल सिंह पंवार प्लाट नं 38, हि म. सें 13 उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी मौके पर भू तल बना हुआ है। जिसमें दक्षिणी पश्चिमी कार्नर में तलघर व कमरा बना रखा है तथा पीछे के सेट बेक 10 फीट के बजाय 4 फीट ही छोड रखा है। जो कि प्रकरण नियमन का है। प्रार्थी बने भवन पर प्रथम एवं द्वितिय तल निर्माण करना चाहते है। अतः प्रंकरण नियमन का होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया मौके पर प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति सेट बेक में भूतल + दो मंजिल निर्माण कर लिया है। व सेट बेक नहीं छोडा है साथ ही निकासु भी बना रखा है मौके की स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी की पत्रावली को निरस्त की जाती है। साथ ही प्रार्थी को उक्त किये गये सेट बेक में निर्माण को हटा लेवे अन्यथा 2 माह बाद परिषद स्तर पर हटया जायेगा। जिसका खर्चा प्रार्थी से वसूल होगा।

34. भ.अ / 229 / 09–10 श्री दिलिप सिंह राठौड एवं मदन सिंह राठौड 95 से 100 हि .म .से 13 उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी मौके पर भूखण्ड के पूर्वी दक्षिणी कौने के सेट बेक में एक कमरा जिस पर शटर लगा है। गैराजनुमा बना हुआ है जो कि बिना स्वीकृति के बना हुआ है। व बकाया भूखण्ड रिक्त है। प्रार्थी भू तल + दो मंजिल निर्धारित सेट बेक छोडते हुए आवासीय भवन निर्माण करने हेतू प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रंकरण नियमन का होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया मौके पर साईड सेट बेक में स्वीकृति पूर्व ही एक कमरा गैराज नुमा बना रखा है। आस पास की स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि साईड सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जावे । प्रार्थी से उक्त भूखण्ड के संबंध में न्यायालय में कोई वाद विचाराधिन न हो इसका शपथ पत्र. लिया जावे और भविष्य में बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य न करे।

35. भ.अ / 73 / 09–10 श्री गोटु लाल जैन पिता चांद मल जैन 3, ख 5 प्रभात नगर हि. म. से. 5 उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी को मौके पर भू तल का पूरे क्षैत्र मे निर्माण किया गया व निकासु रचना सडक की ओर बनाकर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा दिये गये भवन के सेट बेक मे विचलन किया गया है। प्रार्थी यहां प्रथम तल सेट बेक छोडते हुए निर्माण करना प्रस्तावित किया है। प्रंकरण नियमन का होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया मौके पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा दिये गये भवन के पीछे सेट बेक में निर्माण कर लिया है। तथा किसी की उजरदारी प्राप्त नहीं हुई है अतः आस पास की स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि पीछे के सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जावे साथ ही दक्षिणी रास्ते की ओर निकासु रचना बनाई उसके शास्ती आरक्षित दर की दुगनी दर से वसूल की जावे उक्त भवन के संबंध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे व भविष्य में बिना स्वीकृति निर्माण कार्य न करावे।

36. भ.अ / 125 / 2008–2009 श्रीमती कंचन लता पति केसी सोनी 133, टैगोर नगर हिरण मगरी सेक्टर 4 उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी मौके पर पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी किये गये नियमन करवाते हुए प्रथम तल का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। प्रंकरण नियमन का होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया मौके पर पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सामने के सेट बेक मे 10 फीट के बजाय 8′–3″ फीट पीछे 5′–0″ के सेट बेक में एक स्टोर व डब्लयूसी बना रखी है।तथा साईड सेट बेक मे 5′–0″के बजाय 4′–9″ छोड रखा है तथा सेट बेक में दो पिलर बना एक पार्च भी बना रखा है। सेट बेक में निकासु भी बना रखे है अतः आस पास की स्थिति को देखते हुए व किसी की उजरदारी प्राप्त न होने से सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल की जावे ।उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे व भविष्य में बिना स्वीकृति निर्माण न करें।

37. भ.अ / 192 / 2008–2009 रामू देवी टेलर पति देवीलाल जी टेलर 13, टैगोर नगर हि. म. से. 4 उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी को मौके पर भू तल बना हुआ है। पूर्व में दी गई स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में 10 फीट के बजाय 5 फीट ही छोडा गया है जिसमे भी निकासु रचना बनाई गई है। प्रार्थी यहां निर्धारित सेट बेक छोडते हुए भूतल में पीछे के भाग जिसमें निर्धारित सेट बेक छोडते हुए निर्माण करना चाहते है। साथ ही कोने में गैराज की जगह कमरों का भी निर्माण करना चाहते है। साथ ही प्रथम तल का निर्माण भी निर्धारित सेट बेक छोडते हुए निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। प्रंकरण नियमन का होने से अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया मौके पर पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध साईड सेट बेक 10′–0″ 10′–0″ फींट के बजाय 5′–0″–5′–0″ फीट ही छोड रखा है तथा निकासु भी बना रखे है। प्रार्थी उक्त किये गये निर्माण को नियमन करवाते हुए नये निर्माण की स्वीकृति चाहते है। आस पास की स्थिति को देखतें हुए व किसी की उजरदारी भी प्राप्त न होने से सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया है। कि सेट बेक में किये गये निर्माण कार्य की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जाकर निर्माण को नियमन किया जावे । प्रार्थी से उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे व भविष्य में बिना स्वीकृति निर्माण कार्य न किया जावे।

38. भ.अ / 212 / 2008–2009 श्री अर्जुन सिंह पिता भंवर सिंह शक्तावत प्लाट नं. 161 प्रताप नगर उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी मौके पर प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के संपूर्ण सेट बेक को शामिल करते हुए बेस मेंट का निर्माण किया गया एवं भूतल में भी निर्माण किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी ने बेसमेंट एवं भूतल में किये गये सेट बेक के निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं सेट बेक छोडकर जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से राशि वसूल करते हुए किये गये निर्माण को नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है।

39. भ.अ / 168 / 2009–2010 जेनब बाई पति आशिक अली 33 / 216 अरबन ओपरेटिव बैक की गली के अंदर उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी व मौका देखा गया प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के भू तल में दुकान बनायी गयी व पीछे की तरफ आवासीय भवन व प्रथम एवं द्वितिय तल में आवासीय भवन बना रखा है। व निकासु भी बंद कर दिया गया है अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो दुकान का निर्माण किया उसके शटर हटाकर फोटो प्रस्तुत करें एवं वाणिज्यिक नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करे। उसके बाद आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे।

40. भ.अ / 295 / 2008–2009 श्री लाल शंकर चौबीसा पिता भागीरथ जी चौबीसा 227, प्रताप नगर स्कीम उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी प्रार्थी ने मौके पर बिना स्वीकृति के बिना सेट बेक छोडे बेसमेन्ट का निर्माण किया गया है। व ग्राउण्ड फ्लोर में मात्र 3'–0'' सामने की तरफ सेट बेक छोडा जिस में भी 3'–0'' का निकासु बना लिया गया है। प्रार्थी ने मूल सेट बेक सामने से 10'–0'' साईड से 5'–0'' व पीछे से 5'–0'' सेट बेक छोडने का प्रावधान है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने बेस मेंट एवं ग्राउण्ड फ्लोर में सेट बेक में जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं बेस मेंट व ग्राउण्ड फ्लोर में सेट बेक छोडकर जो निर्माण कर रखा है उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से राशि वसूल करते हुए नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है।

41. भ.अ / 119 / 2009–2010 श्री भंवर लाल सामर पिता टी एस सामर 190, बी / 13 बाठेडा हाउस फतेहपुरा उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी व मौका देखा गया प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सामने के सेट बेक में 5'–0'' तक निकासु बनाया गया है। साईड सेट बेक में कमरा, गैराज बनाया व 10'–0'' के स्थान पर 8'–9'' सेट बेक छोडे। पिछे की तरफ 10'–0'' सेट बेक के स्थान पर 27 × 5'–4'' ही सेट बेक छोड रखा है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को दिनांक 17.1.84 को प्रन्यास द्वारा दी गई स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए नियमन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

42. भ.अ / 138 / 2009–2010 मेसर्स गणपति प्लाजा पार्टनर मोहन लाल माखीजा एवं सुरेश कुमार माखीजा 15 भीखारी नाथ का मठ उदयपुर दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एव समझौता समिति की बैठक रखी गयी प्रार्थी ने बेसमेन्ट पार्किंग व भू तल में दुकाने व प्रथम एवं द्वितिय तल में आफीस आदी नक्शें में दर्शा रखा है। प्रार्थी 12'–0'' के स्थान पर उतर तरफ में 4'–0'' सेट बेक छोडा व फस्ट , सेकेण्ड फलोर में सम्पूर्ण सेट बेक में निकासु बनाया व जिसे प्रार्थी ने सम्पूर्ण सेट बेक में निकासु बनाया व जिस प्रार्थी ने सम्पूर्ण सेट बेक को शामिल मिला दिया। व प्रार्थी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधिन होने से विधि शाखा से एवं विधि अधिवक्ता से सम्पूर्ण न्यायिक तथ्यों की रिपोर्ट ली जावे । प्रकरण पुनः आगामी बैठक में रखा जावे।

43. भूखण्ड संख्या 210 ए, सरदारपुरा श्री हनवंत सिंह पिता जंसवत सिंह , श्रीमति हेमंत कुंवर पति हनुमंत सिंह , श्री पृथ्वी राज सिंह पिता हनवंत सिंह उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया दिनांक 24.7.2009 को भवन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो गैराज बनाया है उसकी शास्ती ली जाकर प्रकरण नियमन का होने से प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतू लिखा गया था अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि भवन अनुमति समिति द्वारा दिनांक 24.7.2009 को लिये गये निर्णय अनुसार स्वीकृति के विरूद्ध गैराज बनाया उसकी शास्ती वसूल करते हुए नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है।

44. भ.अ/2/2007–2008 श्री चन्द्र सेन पिता धनराज सिंह कोठारी 49, बी पचंवटी उदयपुर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी व मौका देखा गया मौके पर प्रार्थी ने सेट बेक को शामिल करते हुए भवन बना रखा है व प्रार्थी ने नामान्तरण भी नहीं कराया गया है अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं सेट बेक छोडकर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से राशि ली जाकर किये गये बिना स्वीकृति के निर्माण को नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है। एवं नामान्तरण भी की जावे।

45. भूखण्ड संख्या 3 मीनी ट्रक स्टैण्ड हरिश सुहालका , रवि सुहालका पिता चमन लाल सुहालका उदयपुर द्वारा दिनांक 18.4.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वंय के नाम का नामान्तरण कराने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया मौके पर एक मंजिल भवन मय पूर्व एवं पश्चिम दिशा में निकासु रचना के बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है। तथा टाईप डिजाईन के विरूद्ध आंतरिक परिवर्तन भी किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि आस पास की स्थिति को देखते हुए प्रार्थी के किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 7.5 प्रतिशत वसूल की जावे एवं पीछे बनाये गये निकासु की शास्ती राशि यहां की आरक्षित दर से वसूल की जावे आंतरिक परिवर्तन की शास्ती राशि एक हजार रूपये भी वसूल की जावे। ।बाद वसूली के लीज डीड जारी की जावे प्रार्थी से न्यायालय में कोई वाद न हो इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावें एवं भविष्य में ओर कोई नियमन नहीं किया जायेगा।

46. भूखण्ड संख्या 5 मीनी ट्रक स्टैण्ड हरिश सुहालका , रवि सुहालका पिता चमन लाल सुहालका उदयपुर द्वारा दिनांक 21.5.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वंय के नाम का नामान्तरण कराने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया मौके पर एक मंजिल भवन मय पूर्व एवं पश्चिम दिशा में निकासु रचना के बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है। तथा टाईप डिजाईन के विरूद्ध आंतरिक परिवर्तन भी किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि आस पास की स्थिति को देखते हुए प्रार्थी के किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 7.5 प्रतिशत वसूल की जावे एवं पीछे बनाये गये निकासु की शास्ती राशि यहां की आरक्षित दर से वसूल की जावे आंतरिक परिवर्तन की शास्ती राशि एक हजार रूपये भी वसूल की ।बाद वसूली के लीज डीड जारी की जावे प्रार्थी से न्यायालय में कोई वाद न हो इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावें एवं भविष्य में ओर कोई नियमन नहीं किया जायेगा।

47. भूखण्ड संख्या 800 हिरण मगरी सेक्टर नं. 5 श्री गौतम गोठवाल पिता श्री धनराज जी गोठवाल उदयपुर द्वारा दिनांक 21.1.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वंय के नाम का नामान्तरण कराने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया मौके पर उक्त भूखण्ड बना हुआ है जिसके भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं होना पाया गया है। सेट बेक में निर्माण सामने 10 फीट के बजाय 5 फीट छोडा है पीछे सेट बेक में किचन व टायलेट बना रखा है एवं उतरी पश्चिमी कौने में भूतल एवं प्रथम तल में कमरा व टायलेट का निर्माण किया हुआ है। साथ ही साईड सेट बेक पिलर लगा पोर्च बना दिया गया है। आस पास की स्थिति को देखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया है कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरिक्षत दर से वसूल की जावे एवं भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत से वसूल की जावे बाद वसूली नामांतरण किया जावे। न्यायालय में कोई वाद न हो इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावे। भविष्य में बिना स्वीकृति निर्माण न करावें एवं सेट बेक में किसी भी प्रकार के निर्माण का नियमन नहीं किया जावेगा।

48. भूखण्ड संख्या 4 मीनी ट्रक स्टैण्ड हरिश कुमार सुहालका, पिता चमन लाल सुहालका उदयपुर द्वारा दिनांक 18.4.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वंय के नाम का नामान्तरण कराने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया मौके पर एक मंजिल भवन मय पूर्व एवं पश्चिम दिशा में निकासु रचना के बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है। तथा टाईप डिजाईन के विरूद्ध आंतरिक परिवर्तन भी किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि आस पास की स्थिति को देखते हुए प्रार्थी के किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 7.5 प्रतिशत वसूल की जावे एवं पीछे बनाये गये निकासु की शास्ती राशि यहां की आरक्षित दर से वसूल की जावे आंतरिक परिवर्तन की शास्ती राशि एक हजार रूपये भी वसूल की जावे। ।बाद वसूली के लीज डीड जारी की जावे प्रार्थी से न्यायालय में कोई वाद न हो इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावें एवं भविष्य में ओर कोई नियमन नहीं किया जायेगा।

49. भूखण्ड संख्या 38 ए किशन पोल श्री हरी सिंह भाटी पिता रोड सिंह भाटी उदयपुर द्वारा दिनांक 18.3.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वंय के नाम का नामान्तरण कराने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया मौके पर भूतल व प्रथम तल भवन बना हुआ है। व सेट बेक में भी विचलन किया गया है। जो कि पत्रावली में सलंग्न नक्शे में दर्शाया गया है। पूर्व में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा प्रार्थी को भू तल निर्माण की स्वीकृति निर्धारित सेट बेक अनुसार दी गई थी। अतः सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि आस पास की स्थिति को देखते हुए भू तल एवं प्रथम तल सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जावे तथा प्रथम तल भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत की दर से वसूल की जावे। बाद वसूली नामान्तरण किया जावे। उक्त भूखण्ड के संबंध में न्यायालय में कोई वाद न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे। भविष्य में बिना स्वीकृति कोई निर्माण न करे। एवं सेट बेक में किसी निर्माण को नियमन नहीं किया जावेगा।

50. भूखण्ड संख्या 42 हिरण मगरी सेक्टर 5 श्रीमती कुसुम भटनागर पति श्री अशोक भटनागर उदयपुर द्वारा दिनांक 16.12.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वंय के नाम का नामान्तरण कराने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया मौके पर भवन निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध सामने सेट बेक मे गैराज बना रखा है तथा उस पर छज्जा एक फिट निकासु भी बना रखा है। साईड सेट बेक 7.6 के बजाय 6 फीट ही छोड रखा है एवं सेट बेक में सिढी का लैडिंग भी बना रख्ा है। उतरी पश्चिमी कौने पानी की टंकी के लिये छवाई कर टंकी बना रखी है। जिसको प्रार्थी स्वयं हटाने की प्रार्थना भी की है। आस पास की स्थिति को देखते हुए एवं पुराने भूखण्डों में गैराज का प्रावधान न था व आस पास सामने के सेट बेक में पडोसियों द्वारा भी गैराज बना रखे है। एवं किसी की उजरदारी भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि उतरी पश्चिमी कौने पर टकी बाबत छवाई की गई उसे हटा लेवें एवं फोटो प्रस्तुत करें सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जावें। तथा निकासु छज्जा बना रखा उसकी शास्ती राशि आरक्षित दर की दुगनी दर से वसूल की जावें बाद वसूली नामांतरण किया जावे। उक्त भूखण्ड का कोंई वाद न्यायालय में विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे भविष्य में बिना स्वीकृति निर्माण न करावें नहीं सेट बेक में निर्म्रण को नियमन किया जावेगा।

51 भूखण्ड संख्या 381 हिरण मगरी सेक्टर 11 श्रीमती सीता देवी पति रामेश्वर लाल एवं भगवती देवी पति रामचन्द सोनी उदयपुर द्वारा दिनांक 5.12.2007 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं के भवन की लीज डीड कराने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया मौके पर भवन निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध साईड सेट बेक में एवं पीछे के सेट बेक में आंशिक निर्माण किया हुआ है। अतः सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया है कि आस

पास की स्थिति को देखते हुए व किसी की उजरदारी न होने से सेट बेक मे किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जावे व बाद वसूली लीज डीड जारी की जावे उक्त भूखण्ड के संबंध में न्यायालय में कोई वाद विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये। भविष्य में सेट बेक में किसी निर्माण को नियमन नहीं किया जावेगा।

आयुक्त नगर परिषद, उदयपुर	अध्यक्ष अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांकः— नपउ/कौशा/10—11/ दिनांकः—

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ :—</u>

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2 श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयुपर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति...समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8. ....शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर